कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जम्मू और कश्मीर सरकार का घाटी में प्रवासी परिवारों को सुरक्षा देने सहित उपयुक्त हालात बनाए रखने को सुनिश्चित करने के सदैव प्रयास रहे हैं ताकि प्रवासी परिवार वापस आ सकें । जब तक यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक प्रवासी परिवारों को राहत सहायता दी जा रही है ।

जम्मू और दिल्ली में 60,000 से अधिक परिवार पंजीकृत किए गए ।

जम्मू और कश्मीर सरकार और दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रवासियों को दी गयी सहायता का प्रकार और मात्रा संलग्न विवरण में दी गयी । (नीचे देखिए)

विवरण

सरकार द्वारा प्रवासी परिवारों को दी गयी सहायता का प्रकार और मात्रा

प्रवासी परिवारों को सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राहत उपाय निम्नलिखित हैं :—

सामान्य सहायता

उन प्रवासी परिवारों के बच्चों को जो घाटी में अपनी शिक्षा जारी नहीं रखना चाहते है, घाटी से बाहर के विभिन्न व्यवसायिक और अन्य कालेजों में दाखिले के लिए निर्देश जारी किए गए हैं । घाटी से बाहर, बैंक खातों का स्थानान्तरण, छुट्टियों के वेतन की अदायगी, पेंशन, एल० आई० सी० की किस्त की अदायगी जैसी सुविधाएं भी प्रवासी परिवारों को दी गयी हैं ।

जम्मू में

(1) चार या इससे अधिक सदस्यों के प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1,000 की नकद सहायता देना ।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर मुफ्त राशन की आपूर्ति अर्थात् 9 किलो चावल, 2 किलो आटा, एक किलो चीनी, प्रति परिवार प्रति माह ।

(3) उपलब्ध सरकारी भवनों या टेन्टों में, जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त आवास ।

(4) मुफ्त चिकित्सा सहायता और

(5) जरूरतमंद परिवारों को कम्बलों की आपूर्ति ।

दिल्ली

प्रति व्यक्ति प्रति माह 125 रु० की दर से नकद राहत दी जा रही है बशर्ते कि यह राशि चार सदस्यीय प्रति परिवार प्रतिमास 500 रु० से अधिक न हो ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित तेरह शिविरों में रह रहे प्रवासी परिवारों को नकद राशि के अलावा खाना बनाने के बर्तनों की कोचन किट/बिस्तर और मासिक राशन भी दिया जाता । राशन पर प्रति परिवार होने वाला प्रति माह का व्यय लगभग 500 रु० है । शिविरों में चिकित्सा दल द्वारा नियमित दौरे किए जाने की व्यवस्था भी की गयी है ।

सवाई माधोपुर में दूरदर्शन केन्द्र का प्रतिष्ठापित किया जाना

314. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 28 मई, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1931 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि इस समय परिवर्तित स्थान पर सवाई

माधोपुर में एक नई दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र के प्रतिष्ठापन के संबंध में कार्य 100 मीटर ऊंचे टावर पर न होकर समतल स्थान पर चल रहा है ;

(ख) इस दूरदर्शन टावर को ऊंची पहाड़ी पर न लगाकर बार-बार समतल या निचले स्थान पर लगाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के लिए कौन-कौन व्यक्ति दोषी : और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) दूरदर्शन टावर को कब तक ऊंची पहाड़ी पर प्रतिष्ठापित कर दिया जाएगा जिससे पहाड़ों से घिरे सवाई माधोपुर के निवासी दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देख सकें ?

सूचना और प्रसार मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) (क) से (ग) उस स्थायी स्थल का चयन, जहां पर सवाई माधोपुर के ट्रांसमीटर को आकाशवाणी के एफ० एम० ट्रांसमीटर के साथ स्थापित करने की योजना है, ऐसी परियोजनाएं प्रतिष्ठापित करने के लिए स्थलों का चयन करने के विभिन्न मानदण्डों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद किया गया था, मौजूदा स्थल पर 30 मीटर ऊंचे मास्ट की तुलना में नये स्थल पर 100 मीटर पर ट्रांसमीटर एंटीना लगाने की भी योजना है ताकि ट्रांसमीटर की टी०वी० कवरेज अधिक से अधिक ट्रांसमीटर की किसी दूसरे स्थान पर ले जाना जरूरी नहीं है।

Field intelligence unit operating in border areas of J&K and Punjab

315. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the special gangs working under the directions of the Field Intelligence Unit, a wing of Pakistan Military Intelligence network, in the border areas of Jammu and Kashmir and Punjab;

(b) if so, the steps being taken to bust these gangs; and

(c) the details of information obtained during the operations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (c) Sustained interrogation of the arrested militants has revealed that large number of youths are being trained in Pakistan and POK with the intention of being infiltrated into the Valley. A number of security measures have been taken in J&K which include large induction of Central Police Forces; better coordination between State Police, Central Police Organisations and the Army; intensive raids and combing operation on selective basis and strengthening of vigil on the border.

Employees working under Reserved Trained Pool in the Department of Posts and Telecommunications

316. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Department of Posts and Department of Telecommunications have absorbed the employees who worked under Reserved Trained Pool (RTP) category for a number of years; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JANESHWAR MISHRA: (a) and (b) In the Department of Posts a total No. of 4105 additional posts of Postal/Sorting Assistants have been sanctioned in April, 1990. Orders have also been issued to absorb all the Reserved Trained Pool candidates against newly sanctioned posts.

In the Department of Telecommunications out of a total number of about